



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I),
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM



सं.लेप./प्रशा III/एनएफयू/खंड II
No.Au/Admn.III/NFU/Vol.II

दिनांक: 01-05-2024

अनुभागीय आदेश सं./SECTIONAL ORDER No. 44

संवर्ग में चार साल की नियमित सेवा पूरी करने पर सहा.लेप.अ. को स्वीकार्य, वेतन स्तर 9 में गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू), निम्नलिखित पदाधिकारियों को दि.01.05.2024 से प्रदान किया जाता है।

Non-Functional Upgradation (NFU) to Pay Level 9, admissible to AAOs on completion of four years of regular service in the cadre has been granted to the following officials with effect from 01.05.2024.

क्र.स. Sl. No.	नाम (श्री/श्रीमती) Name (Shri./Smt.)
1.	जोषी पी Joshy P
2.	मुहसीना कबीर एम ए Muhsina Kabeer MA

सीसीएस संशोधित वेतन नियम, 2016 के नियम 13 के अनुसार स्वीकार्य वेतन नियतन का लाभ गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करते समय उपलब्ध होगा। यदि, वे FR 22(I)(a)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

The benefit of pay fixation admissible as per Rule 13 of CCS Revised Pay Rules, 2016 shall be available at the time of grant of Non-Functional Upgradation. If they intend to exercise option under FR 22(I)(a)(1), they should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.

(प्र.मले. के दि.25.04.2024 के आदेशानुसार/Vide orders dated 25.04.2024 of PAG)

Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.
Senior Audit Officer /(Admn.)

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. अनु.आ.पुस्तिका/S.O.Book
2. संबंधित पदाधिकारीगण / Officials concerned
3. वरि.लेप.अ.(बिल्स)-लेखापरीक्षा-I /Sr.AO (Bills)- Audit-I
4. का.स्था.(बिल्स /रोकड़ /हक)-लेखापरीक्षा-I /OE (Bills/Cash/Entt) Audit- I
5. गो.कक्ष/ आईए अनुभाग/ हिंदी कक्ष- लेखापरीक्षा-I /C.Cell/IA Section/Hindi Cell- Audit-I
6. पी ए ओ I, II व III /PAO I, II & III
7. पेंशन एकक/Pension Unit
8. सूचना पट्ट/Notice Board
9. व्यक्तिगत फाइल/Personal Files